भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3729**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीईएम पर पंजीकृत स्वयं सहायता समूह

3729. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर श्रेणी वार पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), स्टार्टअपों, महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या कितनी है तथा कर्नाटक विशेषकर बेंगलुरु के तत्संबंधी आकड़े क्या हैं;

(ख) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान जीईएम के माध्यम से एमएसएमई से खरीद में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष-वार एमएसएमई से कितने मूल्य की खरीद की गई है और इसका अनुपात कितना है;

(ग) क्या जीईएम ने खरीद दक्षता में सुधार करने, मूल्य निर्धारण को मजबूत करने तथा धोखाधड़ी या अनियमित खरीद प्रथाओं का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स को एकीकृत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) जीईएम पोर्टल पर कार्टलीकरण करना, बोली में हेरफेर, फर्जी बोली, मिलीभगत वाली प्रथाओं और धोखाधड़ी की अन्य गतिविधियों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) विक्रेता सत्यापन और खरीद में ईमानदारी बनाए रखने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार जीईएम से निलंबित, निकाले गए या काली सूची में डाले गए विक्रेताओं की संख्या कितनी है और इसके मुख्य कारण और सुरक्षा उपाय क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) दिनांक 30 जुलाई, 2026 तक गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, (एमएसएमई) स्टार्ट-अपों, महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की श्रेणीवार संख्या निम्नवत है:

विक्रेता समूह	संपूर्ण भारत	**कर्नाटक**	**बेंगलुरु**
एमएसएमई	11,75,001	55,053	16,091
स्टार्टअप	37,758	2,772	1,951
महिला उद्यमी	2,17,155	10,896	3,052
स्वयं सहायता समूह	3,784	266	09

(ख) जी हां, पिछले पांच वर्षों के दौरान जीईएम के माध्यम से एमएसएमई से खरीद में वृद्धि हुई है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान जीईएम के माध्यम से एमएसएमई से खरीद का विवरण निम्नवत है:

वित्तीय वर्ष	कुल ऑर्डर मूल्य (करोड़ रूपये में)	एमएसएमई ऑर्डर मूल्य (करोड़ रूपये में)	खरीद का अनुपात
वित्तीय वर्ष 21-22	1,06,597	59,033	0.554
वित्तीय वर्ष 22-23	2,01,317	97,332	0.483
वित्तीय वर्ष 23-24	4,03,569	1,90,485	0.472
वित्तीय वर्ष 24-25	5,41,602	1,95,976	0.362
वित्तीय वर्ष 25-26	5,02,776	2,37,235	0.472

(ग) जीईएम ने संदिग्ध खरीद पैटर्न की पहचान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग आधारित विश्लेषणात्मक मॉडल का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिसमें संभावित क्रेता-विक्रेता की मिलीभगत, असामान्य कीमतें और बार-बार भाग लेने के पैटर्न शामिल हैं। ये मॉडल ऑर्डर स्प्लिटिंग, समान डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर क्रेता-विक्रेता की संदिग्ध मिलीभगत, बोली लगाने वाले की योग्यता का अनुपात, उत्पाद की औसत कीमत की तुलना में खरीद मूल्य आदि से संबंधित मामलों की पहचान करने में मदद करते हैं। इन विश्लेषणात्मक उपकरणों के माध्यम से चिह्नित मामलों को आगे की समीक्षा और आवश्यक कार्रवाई के लिए क्रेता संगठनों के संबंधित अधिकारियों तक पहुँचाया जाता है।

(घ) जीईएम बोलीदाताओं के डिजिटल फुटप्रिंटस, जैसे आईपी एड्रेस, बोली की कीमत, जमा करने का समय आदि के आधार पर किसी भी संदिग्ध कार्टेल की पहचान करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के टूलकिट का लाभ उठाने का प्रयास करता है। जीईएम ने एक इंसिडेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क स्थापित किया है जिसके अंतर्गत झूठे दस्तावेज़ जमा करने, धोखाधड़ी प्रथाओं, मिलीभगत वाले व्यवहार और अन्य व्यावसायिक कदाचार से संबंधित उल्लंघनों की जांच की जाती है और जीईएम की नीतियों के अनुसार निलंबन सहित उचित प्रशासनिक कार्रवाई और अन्य उपाय नियमित रूप से किए जाते है।

(ड.) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निलंबित विक्रेताओं की संख्या निम्नवत हैं :

वित्तीय वर्ष	घटना की सूचना की गई	विक्रेता निलंबित किए गए
2023-24	1,96,793	72,902
2024-25	1,96,803	62,091
2025-26	1,81,035	55,772

निलंबन के मुख्य कारण निम्नवत हैं:

- उत्पादों/सेवाओं को गलत श्रेणी में या गलत विशिष्टताओं के साथ सूचीबद्ध करना।
- अनुचित प्रस्ताव मूल्य

- अनुबंध के अनुसार डिलीवरी में देरी
- अनुबंध होने के बाद उत्पाद/सेवाओं की आपूर्ति करने से इनकार करना ।

जीईएम ने विक्रेता सत्यापन और खरीद में ईमानदारी बनाए रखने के लिए कई सुरक्षा उपाय कार्यान्वित किए हैं, जिनमें निम्नवत शामिल हैं:

- जीईएम में विक्रेता पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है।
- जीईएम ने खरीद में होने वाली गड़बड़िया जैसे-ऑर्डर को कई हिस्सों में बांटना, संदिग्ध बोली लगाना, असामान्य कीमतें और व्यापार में संभावित मिलीभगत का पता लगाने के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग किया गया है। ऐसी गड़बाडियों वाले मामलों को मुख्य खरीदार के डैशबोर्ड पर दिखाया जाता है, ताकि इन पर कार्रवाई की जा सके।

प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार या कार्टेलोकरण को जीईएम के इंसिडेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत गंभीर नियमों के भारी उल्लंघन माना जाता है, और ऐसे मामलों के साबित होने पर 365 दिनों तक का निलंबन हो सकता है।
